झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 43 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सोना देवी
ग्रा०–जगतु, पं०–कोपे, प्र०–मनिका
जिला- लातेहार

DISPOSED बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कैम्प कार्यालय, लातेहार वाद सं0–43 / 2023 आज दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–12 पर अंकित शिकायतकर्ता श्रीमती सोना देवी, ग्राम–जगतु, पंचायत–कोपे, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 2022 का राशन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक–WA/263/2022 दिनांक–05.09.2022 के माध्यम से अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 30 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता के पास हरा राशन कार्ड है। ऐसे में आयोग अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि यदि उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार से आवंटन आया है, तो इस बात की जाँच करें कि शिकायतकर्ता को क्यों राशन राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि आवंटन आया है, तो शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx46	